भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

**राज्य सभा**

लिखित प्रश्न सं. 315

मंगलवार, 20 जुलाई, 2021/29 आषाढ़, 1943 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

**भारत में चिकित्सा पर्यटन की स्थिति**

**315 श्री प्रशांत नन्दा:**

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत चार वर्षों में देश में चिकित्सा पर्यटन के लिए आने वाले विदेशी पर्यटकों का देश-वार प्रतिशत कितना है;

(ख) विगत चार वर्षों के दौरान भारत में चिकित्सा पर्यटन के लिए आने वाले विदेशी पर्यटकों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) उपरोक्त उल्लिखित आगमनों के माध्यम से कितना राजस्व सृजित हुआ है; और

(घ) पर्यटकों के आगमन में वृद्धि करने के लिए स्वास्थ्य और चिकित्सा पर्यटन का संवर्धन करने हेतु आगे और क्या उपाय किए जा रहे हैं?

**उत्तर**

**पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)**

(क): 2017 से 2020 के दौरान चिकित्सा उद्देश्य के लिए अग्रणी देशों से आने वाले विदेशी पर्यटकों के प्रतिशत वितरण का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख) और (ग): पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार इन यात्राओं के उद्देश्य और सृजित राजस्व के अनुसार विदेशी पर्यटकों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार यात्राओं से सम्बन्धित आंकड़े तैयार नहीं करता है।

(घ): पर्यटकों की आमद को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य और चिकित्सा पर्यटन के संवर्द्धन देने के लिए उठाए जा रहे कदमों का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

*******

**अनुबंध - I**

भारत में चिकित्सा पर्यटन की स्थिति के संबंध में दिनांक 20.07.2021 को राज्य सभा के लिखित प्रश्न संख्या 315 के भाग (क) के उत्तर में **विवरण।**

**2017 से 2020 के दौरान चिकित्सा प्रयोजन के लिए अग्रणी देशों से विदेशी पर्यटकों के आगमन के प्रतिशत वितरण का विवरण नीचे दिया गया है:**

| राष्ट्रीयता | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| बांग्लादेश | 44.79% | 50.34% | 57.53% | 54.33% |
| इराक | 9.62% | 9.25% | 8.07% | 9.12% |
| मालदीव | 9.16% | 2.12% | 7.31% | 6.06% |
| अफगानिस्तान | 11.25% | 7.31% | 4.73% | 8.87% |
| ओमान | 5.69% | 4.30% | 3.21% | 2.37% |
| यमन | 2.40% | 1.85% | 2.39% | 2.25% |
| सूडान | 1.40% | 1.35% | 1.28% | 1.51% |
| केन्या | 1.51% | 1.25% | 1.12% | 1.12% |
| नाइजीरिया | 1.12% | 0.88% | 1.00% | 1.11% |
| तंजानिया | 1.02% | 0.82% | 0.74% | 0.90% |
| सऊदी अरब | 0.97% | 0.77% | 0.73% | 0.31% |
| श्री लंका | 0.90% | 1.04% | 0.58% | 0.44% |
| म्यांमार | 0.36% | 0.36% | 0.58% | 0.69% |
| मारिशस | 0.34% | 0.41% | 0.51% | 0.60% |
| बहरीन | 0.23% | 0.23% | 0.26% | 0.21% |
| पाकिस्तान | 0.36% | 0.25% | 0.20% | 0.16% |
| संयुक्त राज्य अमेरीका | 0.13% | 2.61% | 0.17% | 0.22% |
| यूनाइटेड किंगडम | 0.15% | 1.67% | 0.16% | 0.19% |
| नेपाल | 0.09% | 1.78% | 0.10% | 0.24% |
| तुर्की | 0.02% | 0.12% | 0.09% | 0.06% |
| कनाडा | 0.06% | 0.50% | 0.07% | 0.10% |
| संयुक्त अरब अमीरात | 0.10% | 0.15% | 0.07% | 0.11% |
| फिलीपींस | 0.06% | 0.28% | 0.07% | 0.18% |
| कजाखस्तान | 0.07% | 0.06% | 0.06% | 0.06% |
| ऑस्ट्रेलिया | 0.04% | 0.47% | 0.05% | 0.06% |
| मलेशिया | 0.09% | 0.23% | 0.05% | 0.04% |
| दक्षिण अफ्रीका | 0.03% | 0.09% | 0.05% | 0.04% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| रूसी संघ | 0.06% | 0.21% | 0.04% | 0.04% |
| फ्रांस | 0.02% | 0.18% | 0.04% | 0.05% |
| मिस्र | 0.05% | 0.09% | 0.04% | 0.03% |
| इंडोनेशिया | 0.05% | 0.10% | 0.04% | 0.04% |
| जर्मनी | 0.02% | 0.20% | 0.03% | 0.03% |
| न्यूज़ीलैंड | 0.02% | 0.10% | 0.02% | 0.02% |
| चीन | 0.01% | 0.12% | 0.02% | 0.01% |
| नीदरलैंड | 0.02% | 0.10% | 0.02% | 0.04% |
| इटली | 0.01% | 0.12% | 0.02% | 0.01% |
| यूक्रेन | 0.02% | 0.06% | 0.02% | 0.01% |
| ईरान | 0.02% | 0.04% | 0.01% | 0.01% |
| नॉर्वे | 0.01% | 0.03% | 0.01% | 0.01% |
| स्विट्ज़रलैंड | 0.01% | 0.05% | 0.01% | 0.01% |
| स्वीडन | 0.01% | 0.03% | 0.01% | 0.01% |
| सिंगापुर | 0.01% | 0.34% | 0.01% | 0.01% |
| बेल्जियम | 0.01% | 0.05% | 0.01% | 0.00% |
| थाईलैंड | 0.00% | 0.12% | 0.00% | 0.01% |
| ऑस्ट्रिया | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.01% |
| आयरलैंड | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
| डेनमार्क | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
| जापान | 0.01% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
| फिनलैंड | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
| इज़राइल | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.01% |
| पुर्तगाल | 0.00% | 0.12% | 0.00% | 0.01% |
| स्पेन | 0.00% | 0.05% | 0.00% | 0.00% |
| ब्राजील | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
| मेक्सिको | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
| अर्जेंटीना | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
| पोलैंड | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
| कोरिया (गणराज्य) | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
| ताइवान (चीन प्रांत) | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
| चेक गणराज्य | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
| ग्रीस | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
| वियतनाम | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
| भूटान | 0.00% | 0.26% | 0.00% | 0.00% |
| अन्य | 7.64% | 6.63% | 8.42% | 0.25% |

*******

**अनुबंध - II**

भारत में चिकित्सा पर्यटन की स्थिति के संबंध में दिनांक 20.07.2021 को राज्य सभा के लिखित प्रश्न संख्या 315 के भाग (घ) के उत्तर में **विवरण।**

पर्यटकों की आमद को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य और चिकित्सा पर्यटन के संवर्द्धन देने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का विवरण

- माननीय मंत्री (पर्यटन) की अध्यक्षता में राष्ट्रीय चिकित्सा एवं निरोगता पर्यटन बोर्ड का गठन चिकित्सा पर्यटन की वृद्धि में आने वाली बाधाओं का समाधान करना और चिकित्सा पर्यटन, निरोगता पर्यटन एवं योग, आयुर्वेद पर्यटन तथा आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) में समाविष्ट भारतीय चिकित्सा प्रणाली के किसी अन्य स्वरूप के संवर्धन के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए विशिष्ट संस्थागत कार्यढांचा प्रदान करने हेतु किया गया है। यह बोर्ड एक ऐसे समावेशी संगठन के रूप में कार्य करता है जो व्यवस्थित तरीके से पर्यटन के इस वर्ग का संवर्धन करता है।
- बाजार विकास सहायता (एमडीए) योजना के अंतर्गत निरोगता पर्यटन सेवा प्रदाताओं (डब्ल्यूटीएसपी) और चिकित्सा पर्यटन सेवाप्रदाताओं (एमपीएसपी) को वित्तीय सहायता (अधिकतम 2.50 लाख रुपए)।
- न्यूनतम 100 भागीदारों के साथ (जिनमें से 50% विदेशी पासपोर्ट धारक होने चाहिए) चिकित्सा एवं निरोगता पर्यटन पर फोकस करने वाली कार्यशालाओं/समारोहो/बैठकों/ संगोष्ठीयों के आयोजन के लिए 50:50 के अनुपात में लागत वहन करने के आधार पर अधिकतम 10.00 लाख रुपए की वित्तीय सहायता।
- न्यूनतम 75 भागीदारों के साथ (जिनमें से 40% विदेशी क्रेता हो) चिकित्सा एवं निरोगता पर्यटन संवर्धन शो के आयोजन के लिए 50:50 प्रतिशत के लागत वहन करने के आधार पर अधिकतम 25.00 लाख रुपए की वित्तीय सहायता।
- व्यापार मेलो, संवर्धनात्मक आयोजनों, रोड शो तथा संगोष्ठीओं में बीबीसी के सहयोग से चिकित्सा पर्यटन से संबंधित एक फिल्म तैयार की गई है और संवर्धनात्मक प्रयोजनों के लिए विभिन्न मंचों पर इसका उपयोग किया जाता है। वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट, लंदन, आईटीबी, बर्लिन जैसे विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर चिकित्सा पर्यटन का विशेष रूप से संवर्धन किया जाता है।
- निरोगता पर्यटन का आशय मुख्य रूप से अधिकतम स्वास्थ्य एवं निरोगता की भावना प्राप्त करने के उद्देश्य से की गई यात्रा है। अधिकांश होटलों/रिजॉर्ट्स में आयुर्वेदिक केंद्र खुल रहे हैं। अग्रणी टूर ऑपरेटरों ने आयुर्वेद को अपने ब्रोशर्स में शामिल कर लिया है।
- पर्यटन मंत्रालय के "अतुल्य भारत अभियान" के अंतर्गत पिछले कुछ वर्षों से प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, इंटरनेट तथा आउटडोर मीडिया में योग/आयुर्वेद/निरोगता का संवर्धन किया जा रहा है।

- इस अवधारणा की मार्केटिंग के क्षेत्र में पर्यटन मंत्रालय केवल एक सहायक की भूमिका निभा रहा है और वह प्रमुख बाजारों में इसका संवर्धन कर रहा है। भारत तथा विदेशों में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, ऑनलाइन और आउटडोर मीडिया में अतुल्य भारत अभियान के एक भाग के रूप में तथा विदेशों में होने वाली विभिन्न यात्रा व्यापार प्रदर्शनियो में चिकित्सा पर्यटन को नियमित रूप से दर्शाया जाता है।
- देश में चिकित्सा पर्यटन के संवर्धन के लिए पर्यटन मंत्रालय ने "सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा पर्यटन सुविधा" की श्रेणी में राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार की शुरुआत भी की है।
- देश में निरोगता पर्यटन के संवर्धन के लिए पर्यटन मंत्रालय ने "उत्कृष्ट निरोगता केंद्र" की श्रेणी में राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार की शुरुआत भी की है।
- चिकित्सा पर्यटकों की यात्रा प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए चिकित्सा एवं चिकित्सा सहयोगी वीजा की शुरुआत की गई है। चिकित्सा यात्राओं को शामिल करने के लिए ही ई-पर्यटक वीजा तंत्र में विस्तार भी किया गया है। भारतीय मिशन/पोस्ट भारत के प्रतिष्ठित/विशिष्ट/मान्यता प्राप्त अस्पतालों/उपचार केंद्रों में चिकित्सकीय उपचार के लिए भारत की यात्रा करने वाले विदेशी नागरिकों को 1 वर्ष अथवा उपचार की अवधि, जो भी कम हो, के लिए वैध चिकित्सा वीजा (एमईडी) जारी करते हैं। कराया जाने वाला उपचार महत्वपूर्ण होना चाहिए जैसे न्यूरो सर्जरी, हार्ट सर्जरी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, जीन थेरेपी, तथा प्लास्टिक सर्जरी।
- चिकित्सकीय उपचार के लिए भारत की यात्रा करने वाले रोगियों के सहयोगीयों/ परिवार के सदस्यों को रोगी के साथ यात्रा के लिए अधिकतम दो चिकित्सा सहयोगी वीजा (एमईडी एक्स) जारी किए जाएंगे। यह चिकित्सा सहयोगी वीजा रोगी के चिकित्सा वीजा के साथ ही समाप्त होगा। रोगी के साथ आने वाले सहयोगी पति/पत्नी ,बच्चे अथवा उसके रक्त संबंधी होने चाहिए। दो से अधिक सहयोगियों को रोगी के साथ यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। वीजा की प्रारंभिक अवधि 1 वर्ष अथवा उपचार की अवधि, जो भी कम हो, है। यह वीजा 1 वर्ष में अधिकतम 3 प्रवेश के लिए वैध होगा।
- भारत सरकार ने 166 देशों के लिए ऑनलाइन ई-पर्यटक वीजा की शुरुआत की थी। तत्पश्चात भारत में वीजा तंत्र के उदारीकरण और सरलीकरण के तहत पर्यटको, व्यवसाय और चिकित्सा के लिए ई-वीजा योजना दिनांक 1 अप्रैल, 2017 से कार्यान्वित की गई है।

*******